



2026:AHC:53976

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7269 वर्ष 2026

सोमई

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : दिनेश कुमार पाण्डेय

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है—

“(क) परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 को यह आदेशित किया जाए कि वे गाटा सं. 291, क्षेत्रफल 0.121 हेक्टेयर, जो कि ग्राम नरकटहा, तहसील नौतनवा, जनपद महाराजगंज में स्थित है, पर याची के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें तथा इसके संबंध में उसे धमकाया भी न जाए।”

2. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मांगी गई राहत को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। तथापि, यदि याची प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 की किसी कार्यवाही से व्यथित है, तो उसे विधि के अंतर्गत उपलब्ध वैकल्पिक उपचारों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है कि यदि याची को उचित प्रतीत हो तो वह सामान्य कानूनी उपचार के अंतर्गत उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16 मार्च, 2026

सुषमा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।